

325

## न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल कैम्प रीवा (म0प्र0)



म/नि/रीवा/059/2018

१२-३०१

जबलपुर 1-18

कलेक्टर का कार्यालय  
जबलपुर (सिटी कोर्ट)

1- श्रीमती सावित्री सिंह पत्नी स्व0 हरिचरण सिंह निवासी ग्राम बेलहाई हाल निवास  
माकान नं0 295 कांचघर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड नं0 43 जबलपुर जिला जबलपुर  
म0प्र0

2- विकास सिंह तनय स्व0 हरिचरण सिंह

3- आकाश सिंह तनय स्व0 हरिचरण सिंह

दोनों निवासी ग्राम बेलहाई हाल निवास माकान नं0 295 कांचघर श्यामा प्रसाद मुखर्जी  
वार्ड नं0 43 जबलपुर जिला जबलपुर म0प्र0 — निगरानीकर्तागण

### बनाम

1- विवेक कुमार तनय राजेन्द्र प्रसाद

2- बिनय कुमार तनय राजेन्द्र प्रसाद

दोनों निवासी ग्राम नीवी तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0 — उत्तरवादीगण

निगरानी विरुद्ध आज्ञा श्रीमान् राजस्व निरीक्षक  
महोदय तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0  
के प्रकरण क्रमांक 28/अ 12/2015-16 आदेश  
दिनांक 12/11/2016

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन्  
1959ई

मान्यवर,

अन्य के अतिरिक्त निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

- 1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही विधि प्रक्रिया के विपरीत होने से आलोच्य आदेश काबिल निरस्तगी के है।
- 2- यह कि उत्तरवादीगणों ने आ0 नं0 215/1 , 215/2, 215/3 , 215/4, 215/5, एवं आ0 नं0 215/6 का मौजा बेलहाई प0ह0 मनिकवार तहसील रायपुर कर्चु0 में सीमांकन के लिए आवेदन दिया जबकि आ0 नं0 215 के किसी भी बटांक का बटांकन नक्शे में नहीं है ऐसी सूरत में राजस्व निरीक्षक मनिकवार ने दिनांक 06/08/2016 को आदेशित किया कि संहिता के विहित प्रावधानों के अनुसार नक्शा तर्मीम न होन चौहद्दी काबिज की स्थिति स्पष्ट न होन्से सीमांकन

M

A


K. Prashant

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II / निग0 / रीवा / भू-रा0 / 2018 / 0559

जिला-रीवा

सावित्री सिंह / विवेक कुमार

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कामता प्रसाद गुप्ता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील रायपुर कर्चु0 के प्रकरण क्रमांक 28/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 12.11.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">             (बी.एम.शर्मा),            सदस्य         </p>	